न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्याः—05 / 2024 दायर दिनांकः—29.01.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 17

1. हंसराज पुत्र चंदन
2. रेशम पत्नि हंसराज

जातियान जाटव, निवासी—फुलवाडा तहसील—हिण्डौनसिटी, जिला—करौली, राज0

——————सायलान

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र नवल
2. शांतिलाल पुत्र नवल
3. भरतलाल पुत्र चंदन
4. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0
5. सब रजिस्ट्रार उपपंजीयक कार्यालय हिण्डौनसिटी जिला करौली

जातियान—जाटव, निवासी—फुलवाडा तहसील—हिण्डौनसिटी, जिला—करौली

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री पी. एल. गोयल वकील सायलान
2.गै.सा. 01 ता 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 14.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 1248 रकवा 35 ऐयर, 1249 रकवा 14 ऐयर, 1250 रेवा 14 ऐयर, 1251 रकवा 30 ऐयर, 1268 रकवा 24 ऐयर 1707 रकवा 27 ऐयर कुल किता 6 कुल रकवा 1.44 है0 स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी है। आराजी खसरा नं0 1253 रकवा 15 ऐयर, 1254 रकवा 15 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.30 है0 स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी है। आराजी खसरा नं0 766 रकवा 11 ऐयर, 767 रकवा 07 ऐयर, 773 रकवा 19 ऐयर, 774 रकवा 09 ऐयर, 775 रकवा 12 ऐयर, 776 रकवा 06 ऐयरा कुल किता 6 कुल रकवा 64 ऐयर स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी है। आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में सायल नम्बर 01 हिस्सा 1/8 व सायला नम्बर 02 हिस्सा 1/6 की ख[illegible]श्तकार है तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 व 05 हिस्सा 1/6–1/6 तथा गैरसायल नम्बर 01, 02 व 03 हिस्सा 1/8–1/8 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात मुतजिका मद नपम्बर 03 प्रार्थना पत्र में सायल नम्बर 01 हिस्सा 1/8 तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01, 02 व 05 हिस्सा 1/6–1/6 तथा गैरसायल नम्बर 01, 02, 03 हिस्सा 1/8–1/8 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 04 प्रार्थना पत्र में सायल नम्बर 01 हिस्सा 1/4 तथा गैरसायल नम्बर 01, 02 व 03 हिस्सा 1/4–1/4 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:16 IST
Reason: SelfAttested

मुतजिका मद नम्बर 02 ता 04 प्रार्थना पत्र में सायलान एवं गैरसायलान नम्बर 01 ता 03 तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01, 02, 05 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त आराजीयात से अन्य किसी का कोई संबंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है और उन्होंने उपरोक्त आराजीयात का मौके पवर अपने–अपने हिस्सानुसार वहामी तकास्मा कर उक्त भूमि पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा खसरा नम्बर 776 रकबा 6 ऐयर स्थित ग्राम फुलवाडा में सायल नम्बर 01 व गैरसायल नम्बर 01 ता 03 ने अपने निर्माण कर रखे हैं, जिसमें वह अपनी फसल आदि को रखने आदि के उनपयोग में लेते चले आ रहे हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है। आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 02 ता 04 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायलान नम्बर 01 ता 02 तथा दावे के प्रतिवादीगण के मध्य शामिल में काश्त करना संभव नहीं है, क्योंकि फसल की बुवाई व कटाई के सिमय डौल–मैड को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती है। इसलिए भूमि का विधिवत तकास्मा कराया जाना आवश्यक है।

वाका दिनांक 20.01.2024 को सुबह करीब 08 बजे के आसपास को है कि सायलान मुतजिका मद नलम्बर 02 ता 04 प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से की भूमि में बोई हुई फसल की देखभाल कर रहे थे कि इतने में ही मौके पर गैरसायल नम्बर 01 ता 03 तथा दावे के प्रतिवादी नम्बर 01, 02 व 05 आ गये और सायलान से कहा कि तुम अब इस जमीन पर काश्त नहीं करोगे तो सायलान ने कहा कि इस जमीन में हमारा भी हिस्सा है और हम अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं फिर तुम हमें वेबजह क्यों परेशान कर रहे हो तो गैरसायलान ने कहा कि हम उक्त भूमि में तुम्हे काश्त नहीं करने देगें तथा भूमि को दीगर लठैत लोगों को बेचान कर उनके हक में वयनामा पंजीबद्ध करा कब्जा करा देंगे। इस पर सायलान द्वारा गैरसायल नम्बर 01 ता 03 तथा दावे के प्रतिवादी नं0 01, 02, 05 से उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने के लिये कहा तो उन्होंने बंटवारा करानपे से मना कर दिया और कहा कि तुमसे बने सो कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता, सायलान के द्वारा उक्त गैरसायल नम्बर 01 ता 03 तथा दावे के प्रतिवादी नम्बर 01, 02, 05 को काफी समझाया, मगर वे मनने को तैयार नहीं हुए। अगर गैरसायलान अपने उक्त कृत्य में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार दृद्धय से संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को इस अम्र की [illegible]थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ि कवह विवादित आराजी खसरा नं0 1248, 1249, 1250, 1251, 1268, 1707 तथा आराजी खसरा नं0 1253, 1254 तथा आराजी खसरा नं0 767, 773 774, 775, 776 स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली में सायलान के हिस्से की भूमि से जबरन

लट्ठ के बल पर सायलान को बेदखल कर कब्जा नहीं करें तथा भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहनवय नहीं करें तथा सायलान को उनके हिस्से की भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई काय्र नहीं करें जिससे सायलान के उक्त भूमि में उनके हिस्से के उपयोग उपभोग व हक हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई। अप्राथी नं0 1 ता 5 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 21.03.2024 द्वारा अप्रार्थीगण नं0 1 ता 5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में एकपक्षीय प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 242 खसरा नं0 766, 767, 773, 774, 775, 776 कुल रकवा 0.64 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाकर मूल दावे के ताफैसला होने तक उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:16 IST
Reason: SelfAttested